

## आर्थिक विधेयक २०८१

### मिर्चैया नगरपालिकाको आर्थिक प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक

**प्रस्तावना :** मिर्चैया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्नेको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम मिर्चैया नगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन २०८१ रहेको छ । यो ऐन २०८१ साल श्रावण १ गते देखि २०८२ साल असार मसान्तसम्म मिर्चैया नगर क्षेत्र भित्र मात्र लागु हुनेछ ।
२. **सम्पति कर :** नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र अनुसूची (१) बमोजिम सम्पति कर, घर जग्गा कर लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ ।
३. **भूमिकर (मालपोत):** नगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) बनाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
४. **घर जग्गा बहाल कर :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति र संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ ।
५. **व्यवसाय कर :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारको आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ ।
६. **सवारी साधन कर :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (५) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भइ सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
७. **विज्ञापन कर :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भइ सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
८. **मनोरन्जन कर :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने मनोरन्जन व्यवस्थापन सेवामा अनुसूची (७) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भइ सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
९. **विटौरी शुल्क :** नगरपालिका क्षेत्र भित्र आफुले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेको अनुसूची (८) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार विटौरी शुल्क लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ ।

१०. **पार्किंग शुल्क** : नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किंग सुविधा उपलब्ध वापत अनुसूची (९) बमोजिम पार्किंग शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
११. **सेवा शुल्क दस्तुर** : नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेको अनुसूची (१०) मा उल्लेखित स्थानिय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्राही कर सोही अनुसूची व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ ।
१२. **कर छुट** : यस ऐन बमोजिम कर तिर्न दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।
१३. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि** : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोकेको अनुसार हुनेछ ।
१४. **अन्य सेवा शुल्क** : दफा २ देखि ११ सम्म उल्लेखित भए देखि वाहेक प्राप्त हुन सक्ने अन्य आय तथा आमदानीको दर रेट र सो असुल गर्ने तरिका राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा नगरकार्यपालिकाले तोकेको बमोजिम हुनेछ ।
१५. यस विद्येयकमा उल्लेख नभएका कुनै पनि विषयका दररेटहरू तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सोही विषयसंग मिल्दोजुल्दो अर्को विषयको दररेट कायम गरिनेछ ।

**अनुसूची १**  
(दफा २ संग सम्बन्धित)  
**सम्पति कर**

| क्र.सं. | मुल्यांकन रकम      |      |                  | सम्पति करको दर |         |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------|
| १       | रु.१               | देखि | रु.२ लाख ५० हजार | सम्म           | रु.५०।- |
| २       | रु.२ लाख ५० हजार १ | देखि | ५ लाख            | सम्म           | ७५।-    |
| ३       | रु.५ लाख १         | देखि | ७ लाख ५० हजार    | सम्म           | १२५।-   |
| ४       | ७ लाख ५० हजार १    | देखि | १० लाख           | सम्म           | २००।-   |
| ५       | रु.१० लाख १        | देखि | १२ लाख ५० हजार   | सम्म           | २५०।-   |
| ६       | १२ लाख ५० हजार १   | देखि | १५ लाख           | सम्म           | ३००।-   |
| ७       | १५ लाख १           | देखि | १७ लाख ५० हजार   | सम्म           | ३५०।-   |
| ८       | १७ लाख ५० हजार १   | देखि | २० लाख           | सम्म           | ४००।-   |
| ९       | २० लाख १           | देखि | २२ लाख ५० हजार   | सम्म           | ५००।-   |
| १०      | २२ लाख ५० हजार १   | देखि | २५ लाख           | सम्म           | ६७०।-   |
| ११      | २५ लाख १           | देखि | २७ लाख ५० हजार   | सम्म           | ८४०।-   |
| १२      | २७ लाख ५० हजार १   | देखि | ३० लाख           | सम्म           | १,०००।- |
| १३      | ३० लाख १           | देखि | ३५ लाख           | सम्म           | १,२००।- |
| १४      | ३५ लाख १           | देखि | ४० लाख           | सम्म           | १,८००।- |
| १५      | ४० लाख १           | देखि | ४५ लाख           | सम्म           | २,४००।- |
| १६      | ४५ लाख १           | देखि | ५० लाख           | सम्म           | ३,०००।- |
| १७      | ५० लाख १           | देखि | ६० लाख           | सम्म           | ३,५००।- |

|    |                 |      |                    |      |                     |
|----|-----------------|------|--------------------|------|---------------------|
| १८ | ६० लाख १        | देखि | ७० लाख             | सम्म | ५,१२५।-             |
| १९ | ७० लाख १        | देखि | ८० लाख             | सम्म | ६,७५०।-             |
| २० | ८० लाख १        | देखि | ९० लाख             | सम्म | ८,३७५।-             |
| २१ | ९० लाख १        | देखि | १ करोड             | सम्म | १०,०००।-            |
| २२ | १ करोड १        | देखि | १ करोड २० लाख      | सम्म | १२,०००।-            |
| २३ | १ करोड २० लाख १ | देखि | १ करोड ४० लाख      | सम्म | १४,०००।-            |
| २४ | १ करोड ४० लाख १ | देखि | १ करोड ६० लाख      | सम्म | १६,०००।-            |
| २५ | १ करोड ६० लाख १ | देखि | १ करोड ८० लाख      | सम्म | १८,०००।-            |
| २६ | १ करोड ८० लाख १ | देखि | २ करोड             | सम्म | २०,०००।-            |
| २७ | २ करोड १        | देखि | २ करोड ५० लाख      | सम्म | २५,०००।-            |
| २८ | २ करोड ५० लाख १ | देखि | ३ करोड             | सम्म | ३२,०००।-            |
| २९ | ३ करोड १        | देखि | ३ करोड ५० लाख      | सम्म | ३९,०००।-            |
| ३० | ३ करोड ५० लाख १ | देखि | ४ करोड             | सम्म | ४६,०००।-            |
| ३१ | ४ करोड १        | देखि | ४ करोड ५० लाख      | सम्म | ५३,०००।-            |
| ३२ | ४ करोड ५० लाख १ | देखि | ५ करोड             | सम्म | ६०,०००।-            |
| ३३ | ५ करोड १        | देखि | माथिको मूल्यांकनमा |      | प्रति हजार रु. २ थप |

सम्पत्ति कर/घर जग्गा करको दर :

नोट : सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर बृहत विषय भएको हुदा थप अध्ययन गरि प्रक्रिया अगाडि बढाईने छ

अनुसूची २  
ऐनको (दफा ३ संग सम्बन्धित)  
मालपोत र भूमि कर

| अवल   |             |           | दोयम        |             |           | सिम         |             |           | चाहार       |             |           |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| प्रति विगहा   | प्रति कट्ठा | प्रति धुर | प्रति विगहा | प्रति कट्ठा | प्रति धुर | प्रति विगहा | प्रति कट्ठा | प्रति धुर | प्रति विगहा | प्रति कट्ठा | प्रति धुर |
| १००।-   | ५           | ०.२५      | ८०          | ४           | ०.२       | ७०          | ३.५०        | ०.१७५     | ६०          | ३           | ०.१५      |
| ब) दुई विगहा देखि बढी भएको जग्गा<br>जमिनको हकमा :-अवल |             |           | दोयम        |             |           | सिम         |             |           | चाहार       |             |           |
| प्रति विगहा   | प्रति कट्ठा | प्रति धुर | प्रति विगहा | प्रति कट्ठा | प्रति धुर | प्रति विगहा | प्रति कट्ठा | प्रति धुर | प्रति विगहा | प्रति कट्ठा | प्रति धुर |
| १५०।-   | ७.५         | ०.३७५     | १००         | ५           | ०.२       | ८०          | ४           | ०.२०      | ७०          | ३.५०        | ०.१७५     |

(क) दुई विगहा देखि कम भएको जग्गा जमिनको हकमा :-

१.२. सम्पत्ति करको शुरुवात नभएसम्मको लागि अचल सम्पत्ति वार्षिक आयश्रोत प्रमाणित

| सि.नं. | विवरण                         | करको दर रु. |
|--------|-------------------------------|-------------|
| क.     | रु.१ देखि १० लाख सम्म         | १०००।-      |
| ख.     | रु.१० लाख १ देखि २० लाख सम्म  | १५००।-      |
| ग.     | रु.२० लाख १ देखि ३० लाख सम्म  | २०००।-      |
| घ.     | रु.३०लाख १ देखि५० लाख सम्म    | ३०००।-      |
| ङ.     | रु.५०लाख १ देखि१ करोड सम्म    | ६०००।-      |
| च.     | रु. १ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | १२०००।-     |
| छ.     | रु. ३ करोड १ भन्दा माथि       | २५०००।-     |

नोट :-जग्गाको मूल्यांकनको हकमा मालपोतको स्वीकृत दररेटमा नघटने गरी मूल्यांकन समितिको सिफारिस समेतका आधारमा स्वयं घोषणा प्रणाली अनुसार मूल्यांकन गरिनेछ ।

अनुसूची-३  
(दफा ४ संग सम्बन्धित)  
बहाल करको दर

| सि.नं. | विवरण  | रकम प्रतिशतमा |
|--------|--|---------------|
| १.     | भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्परको बहाल रकमको | दस प्रतिशत    |
| २.     | पोखरी र जग्गा बहाल रकमको                               | दस प्रतिशत    |
| ३.     | मेशनरी औजार एवम् सवारी साधन बहाल रकमको                 | दस प्रतिशत    |

अनुसूची ४  
ऐनको दफा (५) संग सम्बन्धित  
श्रेणी अनुसार वार्षिक व्यवसाय करको दर रेट

| सि.नं. | व्यवसायको किसिम  | “क” श्रेणी | “ख” श्रेणी | “ग” श्रेणी |
|--------|--|------------|------------|------------|
| ०१     | व्यापारिक वस्तुहरु :-  |            |            |            |
| १/१    | सुर्य टोवाको चुरोटको थोक विक्रेता प्रति वर्ष   |            |            | ५,०००।-    |
| १/२    | विडी वा सुर्तिको थोक विक्रेता प्रति वर्ष   |            |            | १,५००।-    |
| १/३    | सुर्ति प्याकि गर्ने उद्योग प्रति वर्ष  |            |            | २,९००।-    |
| १/४    | गुटखा उद्योग प्रति वर्ष  |            |            | ५,०००।-    |
| १/५    | मदीरा, वियर, कोल्ड ड्रिक्स थोक विक्रेता प्रति वर्ष   |            |            | ५,०००।-    |
| १/६    | मदीरा, वियर, कोल्ड ड्रिक्स खुद्रा विक्रेता प्रति वर्ष  | २,२००।-    | १,८००।-    | १,४५०।-    |
| १/७    | मदीरा, वियर, कोल्ड ड्रिक्सको व्यवस्थाका साथै खाना सहित भएका उच्च स्तरीय होटल लंजहरुमा प्रति वर्ष | ११,०००।-   | ८,७००।-    | ५,४००।-    |
| १/८    | मदीरा, वियर, कोल्ड ड्रिक्सको व्यवस्थाका साथै खाना सहित भएका मध्यमस्तरीय होटल लंजहरुमा प्रति वर्ष |            |            | ३,६००।-    |

|      |   |         |         |         |
|------|---|---------|---------|---------|
| १/९  | मदीरा, वियर, कोल्ड ड्रिक्सको व्यवस्थाका साथै खाना सहित भएका निम्न स्तरीय होटल लंजहरुमा प्रति वर्ष                   |         |         | २,५००।- |
| १/१० | वेकरी,आईसकी,कोल्ड ड्रिङ्क,केक,क्याफ,गिफट ईत्यादी पसल  |         |         | १,१००।- |
| १/११ | सुन, चाँदी एवं सो को गहना बनाई विक्री तथा बन्धकी राख्ने पसलहरुमा प्रति वर्ष   | ५,८००।- | ४,३५०।- | ३,६००।- |
| १/१२ | सुन, चाँदी प्रसोधन गर्ने पसलहरुमा प्रति वर्ष  |         | २,५००।- | १,८००।- |
| ०२   | <b>निर्माण सामग्रीहरु :-</b>  |         |         |         |
| २/१  | हार्डवेयर पसल (निर्माण सामग्री समेत) प्रति वर्ष   | ५,०००।- | ३,६००।- | २,२००।- |
| २/ २ | सिमेन्ट र फलामे डण्टी मात्र अलग-अलग वेच्ने पसल प्रति वर्ष   |         |         | २,२००।- |
| २/३  | शिशु, प्लाईउड, सनमाईका, रंग रोगन तथा स्यानेटेरीका सामानहरु वेच्ने पसल प्रति वर्ष                                    | २,९००।- | २,२००।- | १,४५०।- |
| २/४  | कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोकपी लगायत सो सम्बन्धी सामान विक्री गर्ने पसल प्रति वर्ष                                    |         |         | २,२००।- |
| २/५  | टेलिभिजन, मोबाइल, फ्रिज, टेलिफोन, पंखा, आईन, घडी, केमरा तथा इलेक्ट्रोनिक सामानहरु खुद्रा विक्रेता पसलहरु प्रति वर्ष | २,२००।- | १,४५०।- | ७००।-   |
| २/६  | विजुलीका सामानहरु मात्र विक्री गर्ने पसल प्रति वर्ष   |         | १,८००।- | १,१००।- |
| २/७  | रेडियो, घडी, टेप रेकर्डर मर्मत गर्ने पसल प्रति वर्ष   | ९००।-   | ७००।-   | ५००।-   |
| २/८  | सिडी चक्का भाडामा लगाउने र वेच्ने पसल प्रति वर्ष  |         | ७००।-   | ५००।-   |
| २/९  | पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता प्रति वर्ष   |         |         | ७,०००।- |
| २/१० | एक पम्प भएकालाई प्रति वर्ष  |         |         | ३,०००।- |
| २/११ | डुमवाट तेल वेच्नेहरु प्रति वर्ष   |         |         | १,१००।- |
| ०३   | <b>दैनिक उपभोग पदार्थ :-</b>  |         |         |         |
| ३/१  | डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रति वर्ष   | ६,१००।- | ५,०००।- | ३,६००।- |
| ३/ २ | किराना सामान लगायत अन्य खुद्रा सामान बिक्री गन प्रति वर्ष   |         |         | १,८००।- |
| ३/३  | किराना पसल थोक प्रति वर्ष   | २,९००।- | २,२००।- | १,८००।- |
| ३/४  | किराना पसल साधारण ( गुम्ती कठघारा समेत) प्रति वर्ष  |         |         | ४००।-   |
| ३/५  | गल्ला खरिद विक्री प्रति वर्ष  | १,४५०।- | १,१००।- | ७००।-   |
| ३/६  | सखर खरिद विक्री प्रति वर्ष  | ७००।-   | ५००।-   | ४००।-   |
| ३/७  | कपडा पसल ठूलो (सुटिङ्ग सटिङ्ग समेत) प्रति वर्ष  | ५,४००।- | ३,६००।- | २,९००।- |
| ३/८  | कपडा साधारण पसल प्रति वर्ष  |         | १,८००।- | १,१००।- |
| ३/९  | रेडिमेट कपडा पसल स्तरीय प्रति वर्ष  |         | २,९००।- | २,२००।- |
| ३/१० | रेडिमेट कपडा साधारण प्रति वर्ष  |         | १,८००।- | १,१००।- |
| ०४   | <b>सवारी साधन विक्रेता :-</b>   |         |         |         |
| ४/१  | जिप,कार लगायत अन्य सवारी विक्रेता प्रति वर्ष  |         |         | ७,२००।- |
| ४/ २ | ट्रयाक्टर विक्रेता प्रति वर्ष   |         |         | ६,५००।- |
| ४/३  | मोटर साइकल, स्कुटर तथाई रिक्सा, टेम्पो र सो सम्बन्धी पार्टहरु विक्री गर्ने पसल प्रति वर्ष                           |         |         | ३,६००।- |
| ४/४  | रिक्लिडसन मोटरसाइकल,स्कुटर,टेम्पो खरिद बिक्री गर्ने पसल प्रति वर्ष  |         |         | २,५००।- |
| ४/५  | गाडी सवारी साधनहरु सम्बन्धी पार्टहरु विक्री गर्ने पसल प्रति वर्ष  |         | २,५००।- | १,५००।- |
| ४/६  | रिक्सा, साइकल नयां फिटिङ्ग गरी वेच्ने पसल प्रति वर्ष  |         |         | ७००।-   |

|      |   |         |         |          |
|------|---|---------|---------|----------|
| ०५   | <b>विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा :-</b>  |         |         |          |
| ५/१  | चिकित्सक प्रति वर्ष   |         | २,२००१- | १,४५०१-  |
| ५/२  | कविराज प्रति वर्ष   |         |         | ७००१-    |
| ५/३  | इन्जीनियर प्रति वर्ष  |         | २,२००१- | १,४५०१-  |
| ५/४  | कानूनी व्यवसाय प्रति वर्ष   |         | २,२००१- | १,४५०१-  |
| ५/५  | स्थानीय तहमा लेनदेन तमसुक प्रति पटक दर्ता दस्तुर  |         |         | २००१-    |
| ५/६  | लेखापरिक्षक प्रति वर्ष  |         | २,२००१- | १,४५०१-  |
| ५/७  | लेखापढी व्यवसाय प्रति वर्ष  |         |         | १४५०१-   |
| ५/८  | दन्त चिकित्सक प्रति वर्ष  | २,२००१- | १,४५०१- | ७००१-    |
| ५/९  | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता प्रति वर्ष   | २,२००१- | १,४५०१- | ७००१-    |
| ५/१० | कम्प्युटर एनालिसट तथा प्रोग्रामर प्रति वर्ष   | २,२००१- | १,१००१- | ७००१-    |
| ५/११ | विमा ऐजेन्ट प्रति वर्ष  | २,२००१- | १,१००१- | ७००१-    |
| ५/१२ | सर्भेयर प्रति वर्ष  | २,२००१- | १,१००१- | ७००१-    |
| ५/१३ | अनुवादक प्रति वर्ष  | २,२००१- | १,१००१- | ७००१-    |
| ५/१४ | पशु चिकित्सक प्रति वर्ष   |         | १,४५०१- | ७००१-    |
| ५/१५ | शेयर दलाल प्रति वर्ष  | २,२००१- | १,४५०१- | ७००१-    |
| ५/१६ | सामान ढुवानीकर्ता तथा कम्पनी प्रति वर्ष   |         |         | १,४५०१-  |
| ०६   | <b>निर्माण व्यवसाय :-</b>   |         |         |          |
| ६/१  | “क” श्रेणीका निर्माण व्यवसायलाई प्रति वर्ष  |         |         | १०,०००१- |
| ६/२  | “ख” श्रेणीका निर्माण व्यवसायलाई प्रति वर्ष  |         |         | ८,०००१-  |
| ६/३  | “ग” श्रेणीका निर्माण व्यवसायलाई प्रति वर्ष  |         |         | ६,०००१-  |
| ६/४  | “घ” श्रेणीका निर्माण व्यवसायलाई प्रति वर्ष  |         |         | ३,०००१-  |
| ०७.  | <b>उर्जा मूलक उद्योग :-</b>   |         |         |          |
| ७/१  | जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्यास, वायु ग्यास तथा अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा प्रति वर्ष | ३,६००१- | २,९००१- | २,२००१-  |
| ०८.  | <b>कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग :-</b>  |         |         |          |
| ८/१  | चामल तथा तेल उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगमा प्रति वर्ष   |         |         | ६,५००१-  |
| ८/२  | चामल तेल उत्पादन गर्ने मझौला उद्योगमा प्रति वर्ष  |         |         | ५,८००१-  |
| ८/३  | चामल तथा तेल उत्पादन गर्ने सानो उद्योग प्रति वर्ष   |         |         | ३,६००१-  |
| ८/४  | प्लाई उड उद्योग प्रति वर्ष  | १५,०००१ | १२,०००१ | १०,०००१- |
| ८/५  | स-मिल काष्ट उद्योग प्रति वर्ष   | -       | ४,०००१- | २,९००१-  |
| ८/६  | भेनियर प्रति वर्ष   |         |         | १,८००१-  |
| ८/७  | च्युरा मूढी उद्योग प्रति वर्ष   |         |         | ४,०००१-  |
| ८/८  | च्युरा उद्योग प्रति वर्ष  |         |         | २,६००१-  |
| ८/९  | मूढी उद्योग प्रति वर्ष  |         |         | २,६००१-  |
| ८/१० | कुटानी, पिसानी, पेलानी मिल प्रति वर्ष प्रति वर्ष  |         |         | १,५००१-  |
| ८/११ | कुटानी, पिसानी मिल प्रति वर्ष   |         |         | १,२००१-  |
| ८/१२ | मसाला, दाल घरेलु उद्योग प्रति वर्ष  |         | २,२००१  | १,४५०१-  |
| ८/१३ | जुस उत्पादन घरेलु उद्योग प्रति वर्ष   |         |         | १,४५०१-  |
| ०९.  | <b>खनिज उद्योग :-</b>   |         |         |          |
| ९/१  | खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा प्रति वर्ष  | ९,०००१- | ७,०००१- | ५,०००१-  |
| १०.  | <b>पर्यटन उद्योग :-</b>   |         |         |          |

|       |   |         |         |          |
|-------|---|---------|---------|----------|
| १०/१  | अथिति सदन, सेवा सदन -आवाश,बिवाह कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था भएका) प्रति बर्ष   |         |         | ७,२००१-  |
| १०/२  | होटल, रेष्टुरेन्ट लंज प्रति बर्ष  | ३,६००१- | २,९००१- | २,२००१-  |
| १०/३  | लंज प्रति बर्ष  |         | २,२००१- | १,८००१-  |
| ११.   | <b>सेवा उद्योग :-</b>   |         |         |          |
| ११/१  | अपसेट प्रेस भएकालाई प्रति बर्ष  |         |         | २,६००१-  |
| ११/२  | ट्रेडल मसिन भएकालाई प्रति बर्ष  |         |         | १,८००१-  |
| ११/३  | स्क्रीन प्रिन्ट तथा स्टयाम्प वनाउने लाई प्रति बर्ष  |         |         | ७००१-    |
| ११/४  | डिजीटल फोटो कलर ल्याव प्रति बर्ष  |         |         | २,०००१-  |
| ११/५  | फोटो स्टुडियो,भिडियो ग्राफि,मिक्सीङ्ग ल्याभ समेत प्रति बर्ष   |         |         | १,०००१-  |
| ११/६  | चलचित्र घरमा प्रति बर्ष   |         |         | २,५००१-  |
| ११/७  | जादु, सर्कस, थिएटर, संगित तथा मनोरंजनहल प्रति बर्ष  |         |         | ७०००१-   |
| ११/८  | जादु, सर्कस, थिएटर, संगित तथा मनोरंजनहल प्रति दिन   |         |         | ३००१-    |
| ११/९  | टेन्ट हाउस र विजुली डेकोरेशन प्रति बर्ष   |         | २,२००१- | १,४५०१-  |
| ११/१० | जिप, कार, मिनीवस, माइक्रो, टेम्पो, म्याजीक, मिनी पिकअप १ सम्म राखि व्यवसाय गर्ने प्रति बर्ष                       |         |         | २,०००१-  |
| ११/११ | ट्रक, वस, टयांकलरी, रोड रोलर, टिपर, जे सी वि १ सम्म राखि व्यवसाय गर्ने प्रति बर्ष                                 |         |         | २,०००१-  |
| १२.   | <b>संचार सेवा :-</b>  |         |         |          |
| १२/१  | संचार कम्पनीले मोवाईल टावर राखि सेवा संचालन गर्दा प्रति टावरमा प्रति बर्ष   |         |         | ४,०००१-  |
| १२/२  | मोवाईल कम्पनीको कार्यालयलाई प्रति बर्ष  | १०,०००१ | ८,०००१- | ५,०००१-  |
| १२/३  | स्थानीय एफ.एम. रेडियो संचालनमा प्रति बर्ष   | -       |         | ३,६००१-  |
| १२/४  | टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, लेमिनेशन, स्पाइरल वाइण्डिङ्ग प्रति बर्ष  |         |         | १,१००१-  |
| १२/५  | इन्टरनेट, इमेल समेत भएका (साइवर क्याफे) प्रति बर्ष  |         |         | ७००१-    |
| १२/६  | इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई प्रति बर्ष   |         |         | २,९००१-  |
| १२/७  | कुरियर सेवा प्रति बर्ष  |         |         | ३००१-    |
| १२/८  | छपाई तथा प्रकाशन -पत्र पत्रिका) प्रति बर्ष  |         |         | ७००१-    |
| १२/९  | मोवाईल बिक्री तथा मरम्मत गर्ने पसल प्रति बर्ष   |         | १,८००१- | १,४५०१-  |
| १२/१० | मोवाईल मरम्मत गर्ने पसल प्रति बर्ष  |         |         | ७००१-    |
| १२/११ | मोवाईलको सिम तथा रिचार्ज बिक्री गर्ने प्रति बर्ष  |         |         | १,४५०१-  |
| १३.   | <b>वित्तीय सेवा :-</b>  |         |         |          |
| १३/१  | नेपाल सरकारको स्वामित्व नरहेका वाणिज्य बैंक प्रति बर्ष  |         |         | १०,०००१- |
| १३/२  | आर्थिक कारोवार गर्ने वित्तीय कम्पनी -मनि ट्रान्सफर समेत,बहुउदेशीय सहकारी संस्था,वचत तथा ऋण सहकारी समेत प्रति बर्ष |         |         | ५,०००१-  |
| १३/३  | कृषि सहकारी संस्था  |         |         | ३,५००१-  |
| १३/४  | बीमा कम्पनी प्रति बर्ष  |         |         | ६,०००१-  |
| १३/५  | विदेशी मुद्रा सटही प्रति बर्ष   |         |         | ५०००१-   |
| १४.   | <b>स्वास्थ्य सेवा :-</b>  |         |         |          |
| १४/१  | नर्सिङ्ग होम तथा अस्पताल सरकारी बाहेक प्रति बर्ष  |         |         | ७,५००१-  |
| १४/२  | क्लीनिक तथा ल्याव -एक्सरे समेत) प्रति बर्ष  |         |         | ३,५००१-  |

|            |  |         |         |          |
|------------|--|---------|---------|----------|
| १४/३       | दिशा, पिसाव, विर्य र रगत आदी जाच्ने ल्यावमा प्रति वर्ष   |         | १,१००।  | ७००।-    |
| १४/४       | क्लीनिक -दन्त क्लीनिक समेत) प्रति वर्ष   |         |         | ३,०००।-  |
| १४/५       | एक्सरे अल्ट्रासाउण्ड प्रति वर्ष  |         |         | १,६००।-  |
| १४/६       | सादा एक्सरे प्रति वर्ष   |         |         | १,१००।-  |
| <b>१५.</b> | <b>शिक्षा सेवा :-</b>  |         |         |          |
| १५/१       | आधारभुत स्तरको (१-६) निजी विद्यालय प्रति वर्ष  |         |         | ७,०००।-  |
| १५/२       | मा.वि. स्तरको (९-१२) निजी विद्यालय प्रति वर्ष  |         |         | १०,०००।- |
| १५/३       | सिभिल इन्जिनियर, ओभरसियर निजी स्तरका प्रति वर्ष  |         |         | ५,५००।-  |
| १५/४       | सव-ओ.सि.,अमिन,अनमी, अहेव. आदी निजी स्तरका प्रति वर्ष   |         |         | ५,५००।-  |
| १५/५       | स्टाप नर्स आदि निजी स्तरको प्रति वर्ष  |         |         | ५,५००।-  |
| १५/६       | ड्राईभिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्र प्रति वर्ष  |         |         | १,४५०।-  |
| १५/७       | कम्प्युटर, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र प्रति वर्ष   |         |         | १,४५०।-  |
| <b>१६.</b> | <b>मर्मत संभार सेवा :-</b>   |         |         |          |
| १६/१       | हेभि इक्वीपमेन्ट बस, ट्रक,टिपर, कार, ट्रयाक्टर मर्मत गर्नेग्यारेज प्रति वर्ष   |         |         | ३,६००।-  |
| १६/२       | मोटरसाइकल,टेम्पो आदि मर्मत गर्ने पसललाई प्रति वर्ष   |         |         | २,२००।-  |
| १६/३       | गाडीका पम्प मेसिन द्वारा मर्मत सर्भिसङ्ग गर्नेलाई प्रति वर्ष   |         |         | १,४५०।-  |
| १६/४       | पम्पिङ्ग सेट, मोटर, पंखा आदि मर्मत गर्ने प्रति वर्ष  |         |         | १,४५०।-  |
| १६/५       | टि.भि.,रेडियो,घडी,टेलिफोन,फ्रिज,पंखा,पानी तान्ने मोटर लगायत विद्युतिय सामान मर्मत तथा सो सम्बन्धि स्पेयर पार्टस बिक्री गर्ने समेत प्रति वर्ष |         |         | २,२००।-  |
| १६/६       | टि.भि.,रेडियो, घडी, टेलिफोन, फ्रिज, पंखा, पानी तान्ने मोटर तथा विद्युतिय सामान मर्मत गर्ने प्रति वर्ष  |         |         | १,४५०।-  |
| <b>१७.</b> | <b>अन्य सेवा :-</b>  |         |         |          |
| १७/१       | नसरी (फलफूलका विरुवा बिक्री वितरण गर्ने) प्रति वर्ष  |         |         | ५००।-    |
| १७/२       | ब्युटी पार्लर, सैलून प्रति वर्ष  |         |         | १,०००।-  |
| १७/३       | खसी, सुगुर, वंगुर राँगा काटि मासु वेच्ने पसल प्रति वर्ष  |         |         | १,५००।-  |
| १७/४       | कुखुराको मासु वेच्ने पसल प्रति वर्ष  |         |         | ७००।-    |
| १७/५       | भाडा वर्तन पसल प्रति वर्ष  |         | १,६००।- | १,१००।-  |
| १७/६       | फर्निचर (स्थानीय स्तरवाट काठको फर्निचर तयार गरी बिक्री वितरण गर्ने प्रति वर्ष  |         | १,१००।- | ७००।-    |
| १७/७       | स्टील फर्निचर (अन्य तिरवाट ल्याएको) प्रति वर्ष   |         | २,६००।- | १,६००।-  |
| १७/८       | स्टील फर्निचर ( स्थानीय स्तरवाट तयार गरी वेच्ने) प्रति वर्ष  |         |         | २,२००।-  |
| १७/९       | गिफ्ट उपहार वेच्ने पसल प्रति वर्ष  |         |         | १,१००।-  |
| १७/१०      | केवल, नेटवर्किङ्ग प्रति वर्ष   |         |         | ७,०००।-  |
| १७/११      | माछा पसल प्रति वर्ष  | २,२००।- | १,४५०।- | ३००।-    |
| १७/१२      | हाँस, कुखुरा, बँगुरगाई, भैंसी, बाखा ईत्यादी फर्म संचालन गरेको प्रति वर्ष   | ५०००।-  | ३०००।-  | २५००।-   |
| १७/१३      | चाउमिन, पास्ता फिंगर उद्योग  | ३०००।-  | २०००।-  | १०००।-   |
| १७/१४      | वेकरी उद्योग   | १५००।-  | १०००।-  | ५००।-    |
| <b>१८.</b> | <b>अन्य व्यवसाय :-</b>   |         |         |          |



|       |   |  |         |          |
|-------|---|--|---------|----------|
| १८/१  | सिमेन्ट उद्योग प्रति वर्ष   |  |         | ५०,०००।- |
| १८/२  | ईटा उद्योग प्रति वर्ष   |  |         | २२०००।-  |
| १८/३  | सिमेन्ट क्राक्रीट इटा, खांमा भेन्टीलेसन टायल उद्योग प्रति वर्ष                              |  |         | १,४५०।-  |
| १८/४  | क्राक्रीट हयूम पाईप, तथा सिमेन्ट पोल बनाउने उद्योग प्रति वर्ष                               |  |         | ७,२००।-  |
| १८/५  | टिनको वाक्स, ड्रम, ट्रक तथा दराज बनाउने उद्योग प्रति वर्ष                                   |  |         | १,४५०।-  |
| १८/६  | इन्जीनियरीगं तथा मेकानीकल वर्क संप (ट्र्याक्टरको ट्रली,थ्रेसर बनाउने कार्य समेत) प्रति वर्ष |  | ७,२००।- | ५,०००।-  |
| १८/७  | अगरवती उद्योग प्रति वर्ष  |  |         | १,०००।-  |
| १८/८  | गिल, सटर बनाउने उद्योग प्रति वर्ष   |  |         | १,४५०।-  |
| १८/९  | दालमोट, भुजिया, पापड उद्योग प्रति वर्ष  |  |         | २,२००।-  |
| १८/१० | मनिहरा,श्रृगांरका साथै अन्य जेनरल सामान विक्रीगर्ने प्रति वर्ष                              |  | १,४५०।- | ७००।-    |
| १८/११ | मनिहरा वा श्रृगांर पसल प्रति वर्ष   |  | ७००।-   | ५००।-    |
| १८/१२ | पान पसल तथा छुट्टा पान विक्री गर्ने समेत प्रति वर्ष   |  | ७००।-   | ५००।-    |
| १८/१३ | फलपूल,तरीकार पसल स्थायी रुपमा ठेडामा विक्री गर्ने प्रति वर्ष                                |  | ७००।-   | ५००।-    |
| १८/१४ | जुता चप्पलको थोक विक्रेता प्रति वर्ष  |  |         | २,६००।-  |
| १८/१५ | जुता चप्पल बनाएर बेच्ने पसल प्रति वर्ष  |  |         | ७००।-    |
| १८/१६ | जुता चप्पल पसल प्रति वर्ष   |  | १,४५०।- | १,१००।-  |
| १८/१७ | स्टेस्नरी तथा पुस्तक पसल प्रति वर्ष   |  | १,४५०।- | १,१००।-  |
| १८/१८ | चस्मा विक्री पसल प्रति वर्ष   |  | १,४५०।- | ७००।-    |
| १८/१९ | चिया, नास्ता पसल प्रति वर्ष   |  | ७००।-   | ५००।-    |
| १८/२० | होटल (खाना मात्र खुवाउने) प्रति वर्ष  |  |         | ७००।-    |
| १८/२१ | विभिन्न किसिमका मिठाई चाट तथा चिया नास्ता पसल प्रति वर्ष                                    |  | १,८००।- | १,४५०।-  |
| १८/२२ | विभिन्न किसिमका खाजा नास्ता चिया पसल ठेलामा बेच्ने समेत प्रति वर्ष                          |  | ७००।-   | ५००।-    |
| १८/२३ | अण्डाको थोक विक्रेता प्रति वर्ष   |  |         | ७००।-    |
| १८/२४ | अण्डा बेच्ने पसल प्रति वर्ष   |  |         | ३००।-    |
| १८/२५ | व्याग बनाएर बेच्ने पसल प्रति वर्ष   |  |         | ७००।-    |
| १८/२६ | सवारी साधनको वडी बनाउने प्रति वर्ष  |  |         | ५,०००।-  |
| १८/२७ | सवारी साधनको डेन्टिङ्ग, पेन्टीङ्ग गर्ने प्रति वर्ष  |  |         | ७००।-    |
| १८/२८ | टायर रिसोलिङ्ग प्रति वर्ष   |  |         | १,१००।-  |
| १८/२९ | टायर, टयुव मर्मत तथा हावा भर्ने प्रति वर्ष  |  |         | ७००।-    |
| १८/३० | ग्यास वेल्डिङ्ग र रेडिवाटर मर्मत समेत गर्नेलाई प्रति वर्ष                                   |  |         | ७००।-    |
| १८/३१ | व्याट्री मर्मत तथा इलेक्ट्रीक मेसिन राखि व्याट्री चार्ज लगायत अन्य काम गर्ने प्रति वर्ष     |  |         | ७००।-    |
| १८/३२ | रिक्सा साइकल मर्मत गर्ने ठूलो पसल प्रति वर्ष  |  |         | ७००।-    |
| १८/३३ | रिक्सा साइकल मर्मत गर्ने सानो पसल प्रति वर्ष  |  |         | ५००।-    |
| १८/३४ | सिलाई मेशिन मर्मत गर्ने प्रति वर्ष  |  |         | ७००।-    |

|       |   |         |         |         |
|-------|---|---------|---------|---------|
| १८/३५ | साईन बोर्ड पेन्ट, बालपेन्ट, होर्डिङ्ग बोर्ड, नम्बर प्लेट लेख्ने (कम्प्यूटर प्रविधिवाट स्टाम्प बनाउने समेत) प्रति बर्ष |         | १,१००।- | ७००।-   |
| १८/३६ | वरफ उद्योग (आइसक्रिम उत्पादन गर्ने समेत) प्रति बर्ष   |         |         | ७००।-   |
| १८/३७ | हेयर कटिङ्ग गर्ने (ठूलो) प्रति बर्ष   |         |         | ७००।-   |
| १८/३८ | हेयर कटिङ्ग गर्ने (सानो) प्रति बर्ष   |         |         | ४००।-   |
| १८/३९ | पाउरोटी उद्योग प्रति बर्ष   |         |         | ७००।-   |
| १८/४० | कवारी (ठूलो) प्रति बर्ष   |         |         | २,२००।- |
| १८/४१ | कवारी (सानो) प्रति बर्ष   |         |         | १,४५०।- |
| १८/४२ | टेलरिङ्ग सेवा (ठूलो) प्रति बर्ष   |         |         | १,४५०।- |
| १८/४३ | टेलरिङ्ग सेवा (सानो) प्रति बर्ष   |         |         | ७००।-   |
| १८/४४ | मिल मेसनरी सामान तथा पार्ट पुर्जा (स्पेयर पार्टस) प्रति बर्ष  |         |         | १,४५०।- |
| १८/४५ | सवारी साधानको स्पेयर पार्टस (लुब्रिकेन्ट समेत) प्रति बर्ष   |         |         | २,६००।- |
| १८/४६ | सवारी साधानको टायर, ट्युब बिक्री गर्ने प्रति बर्ष   |         |         | २,६००।- |
| १८/४७ | आलु, प्याजको धोक विक्रेता ( गद्दी) प्रति बर्ष   |         |         | १,८००।- |
| १८/४८ | खुर्सानी, लसुन हर्दि थोक विक्रेता प्रति बर्ष  |         |         | १,८००।- |
| १८/४९ | खुर्सानी, लसुन, हर्दि,जिरा,धनीयाँ लगायत अन्य मसाला सामानको थोक विक्रेता प्रति बर्ष :-                                 |         |         | १,८००।- |
| १८/५० | औषधी पसल (थोक विक्रेता) प्रति बर्ष :-   |         | २,९००।- | २,२००।- |
| १८/५१ | औषधी पसल प्रति बर्ष :-  | १,४५०।- | १,१००।- | ७००।-   |
| १८/५२ | पशु औषधी पसल (थोक विक्रेता) प्रति बर्ष  |         | १,४५०।- | १,१००।- |
| १८/५३ | पशु औषधी पसल प्रति बर्ष   |         | १,१००।- | ७००।-   |
| १८/५४ | पान पसल तथा मनहरा समेत प्रति बर्ष   | ७००।-   | ४००।-   | ३००।-   |
| १८/५५ | मल खाद, विउविजन एवं किटनाशक प्रति बर्ष  | १,४५०।- | १,१००।- | ७००।-   |
| १८/५६ | मैनवती उद्योग प्रति बर्ष  |         |         | ७००।-   |
| १८/५७ | सर्फ उद्योग प्रति बर्ष  |         |         | ३,६००।- |
| १८/५८ | सावुन उद्योग प्रति बर्ष   |         |         | ३,६००।- |
| १८/५९ | पानी उद्योग प्रति बर्ष  |         |         | ७००।-   |
| १८/६० | फलाम पिटी कृषि तथा घरेलु औजार तयार गरी बिक्री गर्ने पसल प्रति बर्ष  |         |         | ४००।-   |
| १८/६१ | उद्योग तथा कम्पनीको एजेन्सी (अधिकृत बिक्रेता) लिई कारोवार गर्ने प्रति बर्ष  |         | ३,६००।- | २,९००।- |
| १८/६२ | किचेन सम्बन्धी (ग्यास बिक्री समेत) पसल प्रति बर्ष   | २,२००।- | १,४५०।- | ७००।-   |
| १८/६३ | कन्सलटेन्सी   |         |         | ३०००/-  |

|       |   |
|-------|---|
| १८/६४ | माथिको वर्गीकरणको समावेश नभएका सेवा, व्यवसायको कारोवार र स्तर हेरी वार्षिक रु. ५००१- देखि ५,०००१- सम्म कर । |
|-------|---|

**द्रष्टव्य :-**

- (क) पुँजी लगानीको आधारमा रु. ३ लाख सम्मलाई "ग" वर्ग, १० लाख सम्मलाई "ख" वर्ग र सो भन्दा माथिलाई "क" वर्ग मानिनेछ ।
- (ख) माथि उल्लेखित बाहेक अन्य व्यवसायहरूलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी रु. १०० देखि रु.५००० सम्म लिनेछ ।
- (ग) समयमा प्रमाण-पत्र लिन वा नविकरण गर्न नआएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी अशोज मसान्त सम्ममा छुट , पुष मसान्त सम्म मा १०% जरिवाना र त्यसपछि पनि कर दाखिला गर्न नआएमा २५% का दरले प्रति वार्षिक जरिवाना लाग्नेछ ।

**अनुसूची-५**

(ऐनको दफा ६ संग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर

| सि.नं | सवारीको किसिम  | वार्षिक सवारी करको दररेट |
|-------|--|--------------------------|
| ०१.   | दर्ता तथा इजाजत शुल्क प्रति वर्ष                       | १००१-                    |
| ०२.   | नामसारी शुल्क प्रति वर्ष                               | १००१-                    |
| ०३.   | सवारी दर्ता प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष               | १००१-                    |
| ०४.   | बस, ट्रक, लरी र अन्य हेभि गाडी प्रति वर्ष              | ००१-                     |
| ०५.   | भाडाको कार जिप प्रति वर्ष                              | ००१-                     |
| ०६.   | भाडाका टेम्पु प्रति वर्ष                               | ००१-                     |
| ०७.   | भाडाका मिनी बस र ट्रक प्रति वर्ष                       | ००१-                     |
| ०८.   | निजी जिप, कार, मिनी बस, मिनी ट्रक र पिकअप प्रति वर्ष   | ००१-                     |
| ९.    | सि.टि. रिक्सा -(विधुतीय तथा बातावरण मैत्री) प्रति वर्ष | १००१-                    |

**रिक्सा ठेला दर्ता नामसारी नविकरण तथा इजाजत शुल्क :-**

| सि.नं. | विवरण   | रकम रु. | कैफियत |
|--------|---|---------|--------|
| ०१.    | दर्ता तथा इजाजत शुल्क प्रति वर्ष                                      | २५१-    |        |
| ०२.    | नामसारी शुल्क प्रति वर्ष  | २५१-    |        |
| ०३.    | सवारी दर्ता प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष                              | २५१-    |        |
| ०४.    | सवारी कर ( प्रति वर्ष ) प्रति वर्ष                                    | २५१-    |        |
| ०५.    | नविकरण शुल्क प्रति वर्ष प्रति वर्ष                                    | २५१-    |        |
| ०६.    | म्याद गुजरी दर्ता (नम्बर लिन) नामसारी वा नविकरण गराउन आउदा प्रति वर्ष | २५१-    |        |
| ०७.    | सिटी रिक्सा व्यवसाय संचालन गर्ने प्रति वर्ष                           | १०००१-  |        |
| ०८.    | टेम्पो व्यवसाय संचालन गर्ने प्रति वर्ष                                | २०००१-  |        |

**अनुसूची-६**

(ऐनको दफा (७) संग सम्बन्धित)

विज्ञापन कर

| सि.नं. | विवरण   | रकम   |
|--------|---|-------|
| १      | क) टोर्डिङ्ग बोर्ड, भित्ते लेखन, सार्वजनिक स्थल, सडक छेउमा राखिएका बोर्ड आदीमा शुल्क प्रति वर्ग फिट | १००१- |
|        | ख) ग्लो साईन बोर्ड, डी.पी.एस. बोर्ड 2D र 3D बोर्ड आदीमा   | ५०१-  |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| २ | तुल, व्यानर, आदी वस्तुको विज्ञापनमा एक पटकको लागि प्रति वर्ग फिट                    | १०१-  |
| ३ | अन्य वस्तुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट  | १००१- |
| ४ | राजमार्गमा रहेको सेपरेटर पार्कको प्रति प्लेटमा विज्ञापन दस्तुर ( सूति मदिरा वाहेक ) | ३००१- |

**अनुसूची-७**  
**(ऐनको दफा(८) सम्बन्धित)**

**मनोरन्जन कर**

| सि.नं. | विवरण                    | रकम         |
|--------|--------------------------|-------------|
| १.     | सिनेमा हलको लागि वार्षिक | रु.२०,०००१- |
| २.     | केवल व्यवसाय वार्षिक     | रु.५,०००१-  |

- सर्कस देखाउनेलाई दैनिक रु. ३००१-
- विशेष मेलामा राखिने मनोरन्जनका साधनहरूलाई अनुमति दिंदा दैनिक रु.५०००१- का दरले अग्रिम बुझाउनु पर्ने ।
- वजार वा राजमार्गमा अस्थाई घुम्ती वा स्टल/गाडीमा राखी सेवा प्रदान गर्नेलाई दैनिक रु.५०१-

द्रष्टव्य-

- कुनैपनि प्रकारका विज्ञापन गर्दा न.पा.बाट पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।
- नेपाल सरकारको निति बमोजिम सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन गर्न बन्देज गरेका ( मादक पदार्थ, सूती जन्त्य) जस्ता वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।
- यातायात सवारी साधनहरूको विक्री प्रयोजनका लागि हुने विज्ञापनमा पचिस प्रतिशत थप गरि कर लिईनेछ ।
- होटल तथा व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन सम्बन्धि विज्ञापनहरूमा माथि उल्लेखित दर रेटमा कर लिईनेछ ।
- विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट हुने सेवामुलक प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरूमा उल्लेखित दरमा पचास प्रतिशत छुट्ट दिईनेछ ।
- नेपाल सरकारका तर्फबाट हुने जनचेतना अभिवृद्धि मुलक सूचना प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरूमा विज्ञापन कर लिईने छैन ।
- व्यापार व्यवसाय वा कार्यालय रहेको स्थानको परिचयपाटीको हकमा विज्ञापन कर लिईनेछ ।
- उल्लेखित दररेट र आकार प्रकारका आधारमा विज्ञापनका लागि स्वीकृत दिदा न्यूनतम रु.पचासमा नघटाई लिईनेछ ।
- स्वीकृत नै नलिई राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउने र स्वीकृती दिन उपयुक्त ठानिएमा लाग्ने करको शत प्रतिशत बराबर जरिवाना लिई स्वीकृती दिन सकिनेछ ।
- निजी स्वामित्वको स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्दा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो ठाँउमा गरिने विज्ञापन करमा पचास प्रतिशतसम्म छुट्ट दिईनेछ ।
- स्वीकृत समयावधि भित्रै अर्को थप समयावधिका लागि नवीकरण गर्न आउनेलाई लाग्ने दस्तुर पचिस प्रतिशत छुट्ट दिईनेछ ।
- विज्ञापन गर्नेले स्वीकृत समयावधि समाप्त हुदाँ गएको विज्ञापन स्वयम्ले हटाउनु/मेटाउनु पर्नेछ ।

**अनुसूची -८**

**(ऐनको दफा ( ९) संग सम्बन्धित)**

**बहाल विटौरी**

**बाहाल विटौरी जग्गा शुल्क :-**

| सि.नं. | विवरण                             | रकम रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------------------|---------|--------|
| ०१.    | विशिष्ट श्रेणीको जग्गामा प्रतिधुर | १००१-   |        |
| ०२.    | पहिला श्रेणीको जग्गामा प्रतिधुर   | ५०१-    |        |

|     |                                  |      |  |
|-----|----------------------------------|------|--|
| ०३. | दोश्रो श्रेणीको जग्गामा प्रतिधुर | २५१- |  |
| ०४. | तेश्रो श्रेणीको जग्गामा प्रतिधुर | १५१- |  |

**द्रष्टव्य :-** न्यूनतम शुल्क रु. ५१-

**खसी वाखा हाट सेवा शुल्क:-**

| सि.नं. | विवरण   | रकम रु. | कैफियत |
|--------|---|---------|--------|
| ०१.    | खसी, वाखा, वोका, पाठा, पाठी प्रति थान विक्रेतावाट | ३०१-    |        |
| ०२.    | खसी, वाखा, वोका, पाठा, पाठी प्रति थान क्रेतावाट   | ३०१-    |        |

**हाट बजार सेवा शुल्क :-**

| सि.नं | विवरण  | रुपैया                           |
|-------|--|----------------------------------|
| ०१    | अम्लीसोको कुचो ढाक्रे वाट किन्ने व्यापारीसंग लिने  | १०१-                             |
| ०२    | आलु मन एकको वेचने संग लिने   | १०१-                             |
| ०३    | लिचि बजारमा वेच्ने वाट लिने प्रति सैकडा रु.  | १०१-                             |
| ०४    | कलमी आँप वेच्ने वाट लिने प्रति सैकडा   | १०१-                             |
| ०५    | सरही आँप वेच्ने वाट लिने प्रति सैकडा   | १०१-                             |
| ०६    | परेवा प्रति जोडा वेच्ने वाट लिने   | १०१-                             |
| ०७    | कुखुरा प्रति थान वेच्ने वाट लिने   | १०१-                             |
| ०८    | फुटपाथमा कठँजा राख्ने पसल सँग लिने प्रति दिन   | २५१-                             |
| ०९    | भोर्लाको पात ठे.वाट किन्ने व्यापारी सँग लिने प्रति भाडी  | २०१-                             |
| १०    | फुटपाथमा चुडा तथा लहठी पसल गर्ने सँग लिने पसल एकको   | ३५१-                             |
| ११    | फुटपाथमा चामल, च्युरा वेच्ने वाट लिने प्रति ढक्की  | १५१-प्रति बोरा<br>१०१प्रति ढक्की |
| १२    | घानको ढुटो (भुषा गुन्टा) मन एकको वेच्नेवाट   | १०१-                             |
| १३    | फुटपाथमा वसी टर्च, लाइट र स्टोव, जुता, छाता मरम्मत, चुरा, (चुडी) ढक्कीमा तेल र पिना, कँकट, तमाखु, वाँसको ढक्की, समेत वेच्ने वाट लिने प्रति दिन | ३५१-                             |
| १४    | सुर्ति राम्रो, सुकेको खुर्सानी, सुकेको हर्दि (बेसार) फुटपाथमा पसल थापी वेच्ने वाट लिने प्रति मन सानो पसल                                       | ३५१-                             |
| १५    | सुकेको खुर्सानी, बेसार,जीरा मरीच,लसुन वेच्ने सानो पसल  | ५०१००                            |
| १६    | सुकेको खुर्सानी, बेसार,जीरा मरीच,लसुन वेच्ने ठूलो पसल  | १००१००                           |
| १७    | तेल,साबुन,दालमोट, ईत्यादी वेच्नेसंग प्रति खाट  | ५०१००                            |
| १८    | फुटपाथमा सुर्ति डाँट, काँचो हर्दि अथवा शखरखण्ड, पसल थापी वेच्ने वाट लिने प्रति मन  | १०१-                             |
| १९    | विभिन्न साग सब्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी साईकलमा ल्याई वेच्नेवाट लिने   | १०१-                             |
| २०    | विभिन्न साग सब्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी मोटर साईकलमा ल्याई वेच्नेवाट लिने  | २५१-                             |
| २१    | विभिन्न साग सब्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी रिक्सा ठेलामा ल्याई वेच्नेवाट लिने   | ३५१-                             |
| २२    | विभिन्न साग सब्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी गोरु गाडामा ल्याई वेच्नेवाट लिने   | ७५१-                             |
| २३    | विभिन्न साग सब्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी टायर गाडामा ल्याई वेच्नेवाट लिने   | २००१-                            |

|    |  |        |
|----|--|--------|
| २४ | विभिन्न साग सव्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी ट्रयाक्टरमा ल्याई वेचनेवाट लिने  | ३५०१-  |
| २५ | विभिन्न साग सव्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी ट्रकमा ल्याई वेचनेवाट लिन  | १०००१- |
| २६ | विभिन्न साग सव्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी प्रति भङ्गामा ल्याई वेचनेवाट लिन   | २०१-   |
| २७ | विभिन्न साग सव्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी प्रति ठूलो वोरामा ल्याई वेचनेवाट लिन   | २०१-   |
| २८ | विभिन्न साग सव्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी प्रति सानो वोरामा ल्याई वेचनेवाट लिन   | १०१-   |
| २९ | विभिन्न साग सव्जी, कटहर, काक्रा, तरगुजा, खरगुजा आदी प्रति ढक्कीमा ल्याई वेचनेवाट लिने  | २०१-   |
| ३० | दर्ता भएको ठेलामा फलफुल, तरकारी, चिया, नास्ता, भुजा, अण्डा आदि विक्रि गर्ने सँग लिने प्रति बजार                                    | २०१-   |
| ३१ | दर्ता नभएको ठेलामा फलफुल, तरकारी, चिया, नास्ता, भुजा, अण्डा आदि विक्रि गर्ने सँग लिने प्रति बजार                                   | ५०१-   |
| ३२ | गुँड, (शखर) अथवा कँकट तमाखु वेच्ने वाट लिने प्रति क्वीन्टल   | ५०१-   |
| ३३ | फुटपाथमा रहने हलुवाई, चक्कु, हँसीया, खुर्पि, खुम्चा, जाँतो सिलौटो पसल एकको प्रति बजार लिने   | ३०१-   |
| ३४ | न.पा.मातहतको टहरो न.पा.ले वहालमा नदिई उपलब्ध गराएको सार्वजनिक स्थानमा गन्जी, गम्छा, तथा तयारी लुगा वेच्ने पसल एकको लिने प्रति बजार | ५०१-   |
| ३५ | हटिया र फुटपाथमा विक्रि हुने नाग्लो थान-१  | १०१-   |
| ३६ | फुटपाथमा माटोको भाँडा राखि वेच्ने पसल एकको लिने प्रति बजार प्रति टायर  | १००१-  |
| ३७ | फुटपाथमा माटोको भाँडा राखि वेच्ने पसल एकको लिने प्रति बजार प्रति भारी  | ३०१००  |
| ३८ | फुटपाथमा रहेको टहरो सानो पसल,कपाल,दाही, काटने पसल एकको लिने प्रति दिन  | २०१-   |
| ३९ | खेल चटक, तमासा इत्यादी गर्ने जडी वुटि तथा सो सरहको सामान (माइक नराखि) वेच्ने वाट लिने प्रति दिन                                    | ३५१-   |
| ४० | सार्वजनिक जग्गामा कांटा राखि गल्ला खरीद विक्रि गर्ने सँग लिने प्रति दिन  | १००१-  |
| ४१ | न.पा.क्षेत्रमा माइक राखि प्रचार प्रसार गर्ने जडीवुटी वेच्ने पसल सँग लिने प्रति बजार  | ५०१-   |
| ४२ | पाटको डोरी सिक अथवा सावेको डोरी वेच्ने पसल एकको प्रति बजार   | १०१-   |
| ४३ | ठूलो माछा ठूलो पसल एकको प्रति बजार   | ३००१-  |
| ४४ | ठूलो माछा सानो पसल एकको प्रति बजार   | १५०१-  |
| ४५ | अन्य जंगली माछा घुगी,सितुवापसल एकको(पसल हेरी)वढीमा प्रति बजार  | ७०१-   |
| ४६ | ठूलो माछा विक्री गर्ने पिक अप व्यापारीसँग  | १०००१- |
| ४७ | सिधा माछा थोक विक्रि गर्ने वाट लिने प्रति बजार   | १५०१-  |
| ४८ | सिधा माछा ठूलो विक्रि गर्ने वाट लिने प्रति बजार  | ७०१-   |
| ४९ | सिधा माछा सानो खाले विक्रि गर्ने वाट लिने प्रति बजार   | ४०१-   |
| ५० | रांगा काटि मासु वेच्ने वाट लिने प्रति गोटा   | १००१-  |
| ५१ | खसी काटी वा बाहिरवाट काटी ल्याई विक्री गर्नेवाट लिने प्रति गोटा  | १००१-  |
| ५२ | सुँगुर जिवित वेच्ने वा काटेर मासु वेच्ने अथवा घरीवाट काटेर ल्याई मासु वेच्ने वाट लिने प्रति गोटा                                   | ७५१-   |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| ५३ | वाँस वति प्रति गाडा बेच्नेवाट लिने                             | ७५१-    |
| ५४ | जंगली वाँस ( कोरो) टाउकोमा बोकी ल्याई विक्री गर्ने संग लिने    | १०१-    |
| ५५ | जंगली वति टाउकोमा बोकी ल्याई विक्री गर्ने संग लिने             | ५१-     |
| ५६ | दाउरा साईकलमा बोकी ल्याउने संग लिने प्रति साईकल                | १०१-    |
| ५७ | दाउरा टाउकोमा बोकी ल्याउने संग लिने प्रति बोभा                 | १०१-    |
| ५८ | प्याजको विउ प्रति ढकी विक्रि गर्ने संग लिने                    | २०१-    |
| ५९ | प्याजको विउ प्रति बोरा विक्रि गर्ने संग लिने                   | २५१-    |
| ६० | केरा घरी-१ को  | १५१-    |
| ६१ | साना तरकारी पसले(आलु,प्याज, गोलभेडा,गोबी आदि एकै ठाउमाबेचने )  | ३०१-    |
| ६२ | केरा बेच्ने ब्यापारी (ट्रकमा ल्याई बेच्ने प्रति ट्रक )         | २५००१-  |
| ६३ | केरा बेच्ने ब्यापारी (ट्रयाक्टर ल्याई बेच्ने प्रति ट्रयाक्टर ) | १,०००१- |
| ६४ | दाल,पसल ठूलो प्रति बजार  | १००१००  |
| ६५ | दाल पसल सानो प्रति बजार  | ५०१००   |
| ६६ | मसाला पसल ठूलो प्रति बजार                                      | १००१००  |
| ६७ | मसाला पसले मभौला प्रति बजार                                    | ५०१००   |
| ६८ | मसाला पसल सानो प्रति बजार                                      | ३०१००   |
| ६९ | मासु र जाँड रक्सी बेच्नेवाट प्रति पसल प्रति बजार               | १००१००  |
| ७० | रक्सी मात्र बेच्ने पसलसंग प्रति बजार                           | ५०१००   |

**द्रष्टव्य :-**

- (क) हाट सेवा शुल्क दस्तुरमा न.पा.को मातहतमा रहेको नम्बरी वा सार्वजनिक जग्गामा किनबेच गर्ने वाहेक आफ्नो पसल घर वा भाडा घरमा किनबेच गर्दा कुनै प्रकारको सेवा शुल्क असुल गर्न पाइने छैन ।
- (ख) उपरोक्त दररेटमा लेख्न छुट भएको पहाडी जडीवुटी ईत्यादी मन एकको वढीमा रु २०१- र गिन्ती हुने वस्तुको प्रति सैकडा रु.१०१-सम्म ठेकेदारको वास्तविक तजविजले हेरी असुल गर्ने ।
- (ग) न.पा.ले तोकी दिएको ऐलानी जग्गामा न.पा.को स्वीकृती लिई राखेको पसलमा दैनिक शुल्क असुल गर्न पाइने छैन ।
- (घ) कठन्जावालाहरुले कठन्जा पसल गर्दा तथा तरकारी पसल गर्दा वढीमा ५० वर्ग फुटमा पसल थाप्नु पर्नेछ ।
- (ङ) पहाडवाट आउने जडीवुटीहरु मिचैया बजारमा ढाक्रेहरुले पुऱ्याउन नपाई वाटोबाटै ब्यापारीहरुले वाटोमा नै खरीद गरी आफ्नो साधनवाट हुवानी गरी ल्याएमा सो जडीवुटीमा हाट कर लिईने छैन । अन्यथा ढाक्रेवाट हुवानी गराई ल्याएमा सो जडीवुटीमा गुदरी हाट सेवा शुल्क लिईनेछ ।
- च) माथि जेसुकै लेखेको भएतापनि यस नगरपालिकाको गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) मार्फत शिप विकास तालिम लिएको उद्यमीहरुको वार्षिक रु.२०० व्यवसायकर मात्र लिई व्यवसायकर प्रमाणपत्र दर्ता वा नविकरण गर्ने निर्णय गरियो ।

**वैलहाट (पशु बजार) सेवा शुल्क:-**

- (क) गाई, गोरु, राँगा, घोडा र घोडीको प्रति थान विक्रेतावाट लिने रु. ७५१- (पचहत्तरी)
- (ख) गाई, गोरु, राँगा, घोडा, र घोडीको प्रति थान क्रेतावाट लिने रु. ७५१- (पचहत्तरी)

**घुर्मी, वतहा, जीवा नदि नियन्त्रण सेवा शुल्क:-**

| क्र.सं. | गाडीको किसिम                           | दररेट  |        |        |
|---------|--|--------|--------|--------|
|         |  | वालुवा | ढुङ्गा | गिट्टी |
| ०१      | गोरु, गाडा एकको                        | २०१-   | ५०१-   | ५०१-   |
| ०२      | टायर गाडा एकको                         | ५०१-   | १००१-  | १००१-  |
| ०३      | पावर ट्रयाक्टर तथा सानो ट्रयाक्टर एकको | १००१-  | १००१-  | १००१-  |

|    |                                     |       |       |       |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| ०४ | दुई पाँचे ट्रली भएको ट्रयाक्टर एकको | १५०१- | २००१- | २००१- |
| ०५ | चार पाँचे ट्रली भएको ट्रयाक्टर एकको | ३००१- | ४००१- | ३५०१- |
| ०६ | मिनी ट्रक एकको                      | ४००१- | ५००१- | ४००१- |
| ०७ | ट्रक एकको                           | ५००१- | ६००१- | ६००१- |

## अनुसूची -९

(ऐनको दफा ( १०) संग सम्बन्धित)

## पार्किङ शुल्क

| सि.नं. | सवारी साधनको नाम          | पार्किङ शुल्क |
|--------|---------------------------|---------------|
| १      | बस,ट्रली, लरी,हैभी गाडीमा | ००/००         |
| २      | भाँडाको कार, जीप          | ००/००         |
| ३      | भाँडाको टेम्पो            | ००/००         |
| ४      | निजी मिनि बस, कार, टेम्पो | ००/००         |
| ५      | निजी टेम्पो               | ००/००         |
| ६      | मोटर साईकल एवम् स्कुटर    | ००/००         |

नोट-यो दररेट प्रति दिनको लागि तोकिएको हो ।

## अनुसूची -१०

(ऐनको दफा (११) संग सम्बन्धित)

## सेवा शुल्क/दस्तुर

## १.नक्सा पास दस्तुर तथा फाराम शुल्कको दररेट:-

## (क) आवासीय भवनको लागि

| सि.नं. | विवरण   | दररेट   |            |
|--------|---|---------|------------|
| ०१     | RCC भूँइ तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फुट(नाँया)  | ३१-     | पुरानो २१- |
|        | RCC प्रथम तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फुट(नाँया)   | ४१-     | पुरानो ३१- |
|        | RCC दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फुट(नाँया)  | ५१-     | पुरानो ४१- |
|        | RCC तेस्रो तल्ला र सो भन्दा माथि निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फुट(नाँया)  | ६१-     | पुरानो ५१- |
| ०२     | पक्की इटा, ढुङ्गा, माटो, वाँस, टायल, टिन, खपडा, एसवेस्टस प्रयोग गरी बनाएको घरमा प्रति वर्ग फिट  | निशुल्क |            |
| ०३     | कम्पाउड वाल प्रति रनिंग फिट(नाँया) उधोग प्रयोजनको लागि मात्र  | ११-     | पुरानो.११- |
| ०४     | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रमा  | १५००१-  | १५००१-     |
| ०५     | घर नक्सा नामसारी दस्तुर   | २,०००१- | २,०००१-    |
| ०६     | घर नक्सा निवेदन दस्तुरकिताब समेत  | १२००१-  | १२००१-     |
| ०७     | घर नक्साको प्रतिलिपिमा  | १०००१-  | १०००१-     |
| ०८     | नगरक्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाको लेआउट न.पा.को प्राविधिकवाट गराउनु पर्नेछ र सो वापत भौतिक संरचनाले ओगटने जग्गाको क्षेत्रफलमा भवनको प्रति वर्ग फिट | ११-     | ११-        |



|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| ०९ | घर नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणको लागि मुचुल्का तथा प्राविधिक स्थलगत निरिक्षण गर्नु भन्दा अगावै वापत १००० दस्तुर लिईनेछ र सो मध्ये बाट फिल्डमा जाने प्राविधिकलाई फिल्ड भत्ता वापत ५०० दिईनेछ। | १००० | १००० |
|----|---|------|------|

**द्रष्टव्य :-**

- यस कार्यालयमा दर्ता नभएका व्यक्ति वा फर्मबाट तयार पारिएका नक्सा पेश भएमा १ रुपैया प्रति वर्ग फिट थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- सि.नं.१,२ र ३ को हकमा कसैले न.पा.बाट अनुमति नलिई निर्माण कार्य गरेको अवस्थामा नक्सा पास गर्न मनासिब देखिए निम्न बमोजिमको थप दस्तुर लिई नक्सा पास गरिने छ ।
  - प्लीन्थ लेभल सम्म निर्माण कार्य गरेको भए दस्तुरको २० प्रतिशत थप दस्तुर लगाईने छ ।
  - छत ढलान गरेको भए ३० प्रतिशत थप दस्तुर लगाईने छ ।
  - निर्माण सम्पन्न गरि बसोबास गरिरहेको भए १०० प्रतिशत थप दस्तुर लगाईनेछ ।
- सि.नं.४ बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको तर सम्पन्न प्रमाण-पत्र नलगेको हकमा म्याद समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र नलगेमा दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।

| सि.नं. | संरचनाको किसिम  | प्रति वर्ग फीट मूल्य रु. | प्रति वर्ष टुटफुट कट्टी प्रतिशत | ह्रास कट्टी गरिने वर्ष |
|--------|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| १      | ढुंगा वा ईटाको पर्खाल प्रति रनिङ्ग फीट  | ८१००                     | ३००                             | ००                     |
| २      | भिन्न काँचो बाहिर पाके ईटामा माटोका जोडाई भएको वा काठैकाठबाट बनेको र जस्ता, भींगटी, टायल एसबेस्टसको छाना भएको घर  | ४५०१००                   | ३००                             | २५ वर्ष                |
| ३      | भिन्न बाहिर पाके ईटामा वा ढुंगामा माटोका जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेन्ट पलाष्टर गरि छाना ढलान( आर.सि.सि.वा आर.वि.सी)गरिएको वा जस्ता, भींगटी, टायल एसबेस्टसको छाना भएको घर | ५२५१००                   | २१००                            | ३० वर्ष                |
| ४      | भिन्न बाहिर पाके ईटामा वा ढुंगामा सिमेन्ट पलाष्टर गरि छाना ढलान(आर.सि.सि.वा आर.वि.सी)गरिएको वा जस्ता, भींगटी, टायल एसबेस्टसको छाना भएको घर                              | ८००१००                   | ११००                            | ७० वर्ष                |
| ५      | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरमा लिफ्ट वा एक्सलेटर जडान भएको घर  | १८००१००                  | ०.७५                            | १०० वर्ष               |
| ६      | स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फविङ्गट्स,फाईवर वा यस्तै संरचना  | १५०००१००                 | १.००                            | ००                     |

**नगरपालिको यान्त्रिक उपकरणहरू भाडाको दररेट:-**

|   |   |         |  |
|---|---|---------|--|
| १ | ब्याकहो लोडर (जे.सी.बि.) निजि को लागि                         | २५००१-  |  |
| २ | ब्याकहो लोडर (जे.सी.बि.) योजना (उपभोक्ता समिति ) कार्यको लागि | २३००१-  |  |
| ३ | सक्सन मेशिन प्रति ट्रीप                                       | २,०००१- |  |
| ४ | टीप्पर (प्रति२ कि.मी.)भिन्न प्रति ट्रीप ढुवानी गरेमा          | २,५००१- |  |
| ५ | प्रति दिन प्रति ट्रीप टिप्पर भाँडामा डिजल बाहेक               | १,५००१- |  |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
| ६  | ट्रयाक्टरको प्रति दिन प्रति ट्रीप डिजल बाहेक     | १,०००।- |  |
| ७  | ट्रयाक्टर प्रति ट्रीप                            | ४००।-   |  |
| ८  | रोलर प्रति दिन ( डिजल र चालक भत्ता बाहेक)        | १००००।- |  |
| ९  | क्यूव टेस्ट मोल्ड (सेट) प्रतिदिन                 | ५००/-   |  |
| १० | लेभल मेसिन (प्रति दिन )                          | १०००/-  |  |
| ११ | टोटल स्टेसन (प्रतिदिन ) अपरेटर बाहेक             | ५०००/-  |  |
| १२ | कोर कटर मेसिन (प्रतिदिन ),पेट्रोल र अपरेटर बाहेक | ३०००/-  |  |

## २. विभिन्न सिफारिस अन्य दस्तुर तथा जरिवाना :-

| सि.नं. | विवरण   | दर         | कैफियत |
|--------|---|------------|--------|
| ०१     | निवेदनमा टिकट वापत  | १०।-       |        |
| ०२     | नक्कल दस्तुर प्रति पाना   | ५।-        |        |
| ०४     | बोलपत्र, दरभाउ-पत्रमा ( नियमानुसार )  | नियमानुसार |        |
| ०५     | नगरिकता अभिलेख कायम गर्नेवंशज सिफारिसमा   | निशुल्क    |        |
| ०६     | नगरिकता अभिलेख कायम गर्नेअंगकृत सिफारिसमा   | २००।-      |        |
| ०७     | नगरिकता अभिलेख प्रतिलिपी सिफारिस  | ५०।-       |        |
| ०८     | परिचयपत्रको विलम्ब दस्तुर   | २००।-      |        |
| ०९     | परिचयपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर  | ५००।-      |        |
| १०     | व्यक्तिगत घटनादर्ताको विलम्ब शुल्कमा  | २००।-      |        |
| ११     | व्यक्तिगत घटनादर्ताको नक्कल दस्तुर  | ५००।-      |        |
| १२     | व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता कित्ताव हेरेको दस्तुर  | २००।-      |        |
| १३     | परिचय नम्बर वा वैयक्तिक विवरणको प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटक दस्तुर   | ५।-        |        |
| १४     | परिचय नम्बर वैयक्तिक विवरण जैविक विवरण वा परिचयपत्रको प्रमाणिकरण भई सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य वैक्तिक विवरण प्रदान गरे वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर | २०।-       |        |
| १५     | जैविक विवरण वा परिचयपत्रको प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटक   | १०।-       |        |
| १६     | नाता प्रमाणित तथा अन्य प्रमाणीतमा   | १५०।-      |        |
| १७     | अन्य शिफारिस गर्दा (मूल्य नखुलेको भएमा)   | २००।-      |        |
| १८     | सनाखत सिफारिस दस्तुर  | १५०।-      |        |
| १९     | मिलापत्र दस्तुर   | ७००।-      |        |
| २०     | अविवाहित प्रमाण पत्र सिफारिस दस्तुर   | १५०।-      |        |
| २१     | अंग्रेजीमा सिफारिस दस्तुर   | ३००।-      |        |
| २२     | जग्गा धनि प्र.पुर्जामा फोटो टाँसी तीनपुस्ते कायम शिफारिस  | ३००।-      |        |
| २३     | नाँउ सन्सोधन शिफारिस  | ५०।-       |        |
| २४     | जग्गाको भोग चलन शिफारिस   | ४००।-      |        |
| २५     | वहाल विटौरीको श्रेस्ता प्रमाणित   | १०००।-     |        |
| २६     | जन्म तथा वसोवास प्रमाणीत  | १५०।-      |        |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| २७ | चौपाया :-गाई, गोरु, रांगौं, भैंसी, घोडा, खसी, बाखा, भेडा,सुंगुर आदि<br>अन्यत्र लैजान प्रति थान (व्यापार प्रयोजनको लागि )   | १०१-                                     |  |
| २८ | प्यान नं. सिफारिश दस्तुर   | ५००१-                                    |  |
| २९ | वक्सपत्र पारितका लागी सिफारिस गर्दा (वाल विटौरीको जग्गा समेत)  | ५००१-                                    |  |
| ३० | गांउवलक जग्गाको लगत कायमको सिफारिस गर्दा   | ८००१-                                    |  |
| ३१ | गांउवलक जग्गाको लगत कायमको सिफारिस गर्दा५ धुर भन्दा कम<br>जग्गा भएको लाई   | ५००१-                                    |  |
| ३२ | जग्गा नामसारी, अंशवण्डाको सिफारिसमा र गांउवलक सहित   | ५००१-                                    |  |
| ३३ | गाउं वलक र घरवास मिनहै जग्गाको राजिष्ट्रेसन पारितको सिफारिसमा  | ५००१-                                    |  |
| ३४ | विटौरी जग्गा नामसारी र दा.खा. गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा रु.<br>विटौरी जग्गा नामसारी र दा.खा. गर्दा पहिला श्रेणीमा रु.<br>विटौरी जग्गा नामसारी र दा.खा. गर्दा दोश्रो श्रेणीमा रु.<br>विटौरी जग्गा नामसारी र दा.खा. गर्दा तेश्रो श्रेणीमा रु. | १,५००१-<br>१०००१-<br>८००१-<br>६००१-      |  |
| ३५ | कन्सलटेन्सी दर्ता दस्तुर   | ३०००१-                                   |  |
| ३६ | बहुउद्येशीय सहकारी संस्था दर्ता दस्तुर   | ५०००१-                                   |  |
| ३७ | कृषि सहकारी संस्था दर्ता दस्तुर  | ३५००१-                                   |  |
| ३८ | अन्य संस्था दर्ता तथा दर्ताको लागि सिफारिस दस्तुर  | १०००१-                                   |  |
| ३९ | उल्लेख नभएको अन्य संस्था नविकरण तथा नविकरणका लागि सिफारिस दस्तुर   | १०००१-                                   |  |
| ४० | मोही नामसारी दस्तुर  | ५००१-                                    |  |
| ४१ | संस्था नामसारी दस्तुर  | १०००१-                                   |  |
| ४२ | संस्था ठाँउ सारी दस्तुर  | १०००१-                                   |  |
| ४३ | तमसुक दर्ता दस्तुर   | २००१-                                    |  |
| ४४ | व्यपार व्यवसाय स्थापनाको लागि इजाजत सहमति दस्तुर   | १०००१-                                   |  |
| ४५ | नवालक सिफारिस दस्तुर   | २००१-                                    |  |
| ४६ | न.पा.वाट अमिन खटाए वापत  | २०००१-                                   |  |
| ४७ | घ वर्गको इज्जाजत पत्र दर्ता दस्तुर   | १००००१-                                  |  |
| ४८ | घ वर्गको इज्जाजत पत्र नविकरण दस्तुर  | ५०००१-                                   |  |
| ४९ | घ वर्गको इज्जाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर<br>विटौरी जग्गाको खरीद विक्रि सिफारिस (घर वाटो समेत) मा देहाय वमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ :-  | १०००१-                                   |  |
| ५० | क.विशिष्ट श्रेणीमा<br>ख.प्रथम श्रेणीमा<br>ग.द्वितीय श्रेणीमा<br>घ.तृतीय श्रेणीमा   | २,५००१-<br>२,०००१-<br>१,५००१-<br>१,०००१- |  |
| ५१ | टेलिफोन,खानेपानी, विद्युत, सिफारिसमा   | ३००१-                                    |  |
| ५२ | क.जग्गाको चारकिल्ला (शहरि क्षेत्र घडेरी )<br>ख.जग्गाको चारकिल्ला (शहरि क्षेत्र खेती )<br>ग.जग्गाको चारकिल्ला( गाउँ क्षेत्र घडेरी )<br>घ.जग्गाको चारकिल्ला( गाउँ क्षेत्र खेती )   | १०००१-<br>५००१-<br>५००१-<br>३००१-        |  |
| ५३ | क.न.पा.शहरि क्षेत्रको घडेरी जग्गामा घरवाटो सिफारिस<br>ख.न.पा.शहरि क्षेत्रको खेती योग्य जग्गामा घरवाटो सिफारिस<br>ग.न.पा.गाउँ क्षेत्रको घडेरी जग्गाको घरवाटो सिफारिस<br>घ.न.पा.गाउँ क्षेत्रको खेती योग्य जग्गामा घरवाटो सिफारिस           | १०००१-<br>५००१-<br>५००१-<br>३००१-        |  |
| ५४ | संस्था दर्ता /नविकरण सिफारिस   | १०००१-                                   |  |

|    |   |   |                                       |
|----|---|---|---------------------------------------|
| ५५ | जिल्ला तथा नगर क्षेत्रका लागि चारित्रिक प्रमाण-पत्रको शिफारिसमा   | १५०१-                                     |                                       |
| ५६ | नगरक्षेत्र बाहिरका लागि चारित्रिक प्रमाण-पत्रको शिफारिसमा   | ३००१-                                     |                                       |
| ५७ | थ्रि फ्रेज लाईनको सिफारिसमा   | १,५००१-                                   |                                       |
| ५८ | कृषि मिटर (कृषि प्रयोजनको लागि मात्रै )   | २५१-                                      |                                       |
| ५९ | शिक्षण संस्थामा स्वीकृती तथा स्तर वृद्धि सिफारिसमा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्ने छ :-<br>(क) आधारभूत तह (१-८) स्वीकृतीमा<br>(ख) सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको सिफारिसमा<br>(ग) मा.वि.तह (९-१२) सम्मको ( प्राविधिक क्याम्पस समेत )   | सामुदायिक<br>५,०००१-<br>१,५००१-<br>७०००१- | निजि<br>७,०००१-<br>२,०००१-<br>१००००१- |
| ६० | सहुलीयत दरमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टि उपलब्ध गराउने सिफारिसमा   | २००१-                                     |                                       |
| ६१ | सहुलीयत दरमा सम्बन्धित निकायमा काठ उपलब्ध गराउनका लागि प्रति क्यु.वि.फिट रु. ५१- का दरले सिफारिस दस्तुर   | ५१-                                       |                                       |
| ६२ | क.न.पा.शहरी क्षेत्र भित्रको घडेरी जग्गामा मोही निस्कासन सम्बन्धि सिफारिस गर्दा प्रति कठ<br>ख.न.पा.शहरी क्षेत्र बाहिरको घडेरी जग्गामा मोही निस्कासन सम्बन्धि सिफारिस गर्दा प्रति कठ<br>ग.न.पा.खेती योग्य जग्गामा मोही निस्कासन सिफारिस प्रति कठ  | १,०००१-<br>५००१-<br>२००१-                 |                                       |
| ६३ | क.आफनै पुख्रौलीको नाममा भएको न.पा.शहरी क्षेत्र भित्रको घडेरी जग्गामा मोही निस्कासन सम्बन्धि सिफारिस गर्दा प्रति कठ<br>ख.आफनै पुख्रौलीको नाममा भएको न.पा.शहरी क्षेत्र बाहिरको घडेरी जग्गामा मोही निस्कासन सम्बन्धि सिफारिस प्रति कठ<br>ग.आफनै पुख्रौलीको नाममा भएको खेती योग्य जग्गामा मोही निस्कासन सम्बन्धि सिफारिस प्रति कठ | ८००१-<br>४००१-<br>१००१-                   |                                       |
| ६४ | छुट जग्गा दर्ताको सिफारिस दस्तुर प्रति कठ   | ५००१-                                     |                                       |
| ६५ | विटौरी जग्गा रोक्का गर्दा रोक्का दस्तुर (नेपाल सरकार तथा अदालत बाहेक)   | ५००१-                                     |                                       |
| ६६ | रिक्सा चालक, मजदूर परिचय प्रमाण-पत्र शुल्क  | ५०१-                                      |                                       |
| ६७ | सिनो फालेको प्रति थान   | ३००१-                                     |                                       |
| ६८ | होर्डिङ बोर्ड दस्तुर स्वीकृती शुल्क प्रति वर्ग फिट  | ६०१-                                      |                                       |
| ६९ | सूर्ति तथा मदिरा जन्य वस्तुको विज्ञापन होर्डिङ बोर्डमा प्रति वर्ग फिट   | १००१-                                     |                                       |
| ७० | अन्य वस्तुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट  | १००१-                                     |                                       |
| ७१ | राजमार्गमा रहेको सेपरेटर पार्कको प्रति प्लेटमा विज्ञापन दस्तुर ( सूर्ति मदिरा बाहेक )   | ३००१-                                     |                                       |
| ७२ | कुनै कारणवस क्षतिग्रस्त भएका उद्योग, कल कारखाना लाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्दा   | १,५००१-                                   |                                       |
| ७३ | नारी शिल्पकलामा प्रति व्यक्तिलाई प्रशिक्षण दिंदाको प्रशिक्षक संग<br>लिने  | ३००१-                                     |                                       |
| ७४ | उद्योग धन्दा नामसारीको सिफारिसमा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ :-<br>(क) आधुनीक ठूलो उद्योग<br>(ख) आधुनीक मझौला उद्योग<br>(ग) आधुनीक सानो उद्योग<br>(घ) अन्य साना तथा घरेलु उद्योग  | ७,०००१-<br>४,५००१-<br>३,०००१-<br>२,०००१-  |                                       |
| ७५ | उद्योग धन्दाको सर्जमिन मुचुलका गरी घरेलु तथा स.उ.का. तथा अन्यमा पठाउदा  | १,५००१-                                   |                                       |

|       |  |                     |   |                            |
|-------|--|---------------------|---|----------------------------|
| ७६    | व्यापार व्यवसाय नामासारी दस्तुर  |                     | ५००१-   |                            |
| ७७    | ठेक्का पट्टाको इजाजत पत्र शिफारिस दस्तुर   |                     | १०००१-  |                            |
| ७८    | मोवाईल टावर निर्माण इजाजतमा  |                     | २,५००१-   |                            |
| ७९    | श्रेस्तामा घर कायम गराउदा शिफारिस दस्तुरपक्क घर ,कच्ची घर  |                     | १०००१-<br>५,००१-                                    |                            |
| ८०    | आगलागीवाट क्षति पुगेका उद्योग धन्दाका लागि काठको शिफारिसमा   |                     | ५०१-  |                            |
| ८१    | पेट्रोल पम्प स्थापनाको शिफारिस   |                     | १५,०००१-  |                            |
| ८२    | न.पा.वाट उपलब्ध गराईने एकीकृत सम्पत्ति कर आवेदन फारम एकको  |                     | ५०१-  |                            |
| ८३    | न.पा.वाट उपलब्ध गराईने अन्य आवेदन फारम एकको  |                     | ३०१-  |                            |
| ८४    | धारा जडान गर्दा देहाय बमोजिम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।<br>(क) राजमार्ग सँग जोडीएको दाँया बाँया बनेका घरमा जडान गर्दा<br>(ख) न.पा.क्षेत्रको मूल बजार प्रवेश गर्ने पिच सडकको दाँयाबाँया-<br>(ग) ग्रैभेल सडक<br>(घ) कच्ची सडक<br>(ङ) अन्य पिच सडक |                     | ७,०००१-<br>५,०००१-<br>३,०००१-<br>१,५००१-<br>४,०००१- |                            |
| ८५    | <b>स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नविकरण दस्तुर</b>  |                     |   |                            |
| सि.न. | संस्थाको किसिम   | शुल्क निर्धारण इकाई | स्थापनाका लागि दस्तुर                               | नविकरण दस्तुर              |
| १     | अस्पताल तथा नर्सिङ होम   | शैया संख्या         | प्रति शैया ४०००१-                                   | प्रति शैया ५००१-           |
| २     | पोलिक्लीनीक/क्लिनिक  | सेवा प्रकार         | प्रति सेवा १००००१-                                  | प्रति सेवा १०००            |
| ३     | डायग्नोस्टिक सेन्टर  | सेवा प्रकार         | प्रति सेवा १००००१-                                  | प्रति सेवा १०००१-          |
| ४     | आयुर्वेद अस्पताल/वैक्लीक चिकित्सा  | शैया संख्या         | प्रति शैया २०००१-                                   | प्रति शैया ५००१-           |
| ५     | आयुर्वेद क्लिनिक   | सेवा प्रकार         | प्रति सेवा ५०००१-                                   | प्रति सेवा ५००१-           |
| ८६.   | योजना सम्भौता किताव (प्रति किताव )   |                     |   | प्रति किताव २००/-          |
| ८७    | नगरपालिकावाट अमिन खटाएवापत (सार्वजनिक वाहेक)   |                     |   | प्रति किता २०००/-          |
| ८८    | घुर्मी खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत प्रति टयाक्टर  |                     |   | रु.५,००० देखी ७,००० सम्म   |
| ८९    | घुर्मी खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत प्रति टिपर   |                     |   | रु.७,००० देखी १०,००० सम्म  |
| ९०    | घुर्मी खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत प्रति जेसीवि   |                     |   | रु.२५,००० देखी ४०,००० सम्म |
| ९१    | वतहा र जिवा खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत प्रति टयाक्टर   |                     |   | रु.३,००० देखी ५,००० सम्म   |
| ९२    | वतहा र जिवा खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत प्रति टिपर  |                     |   | रु.५,००० देखी ७,००० सम्म   |
| ९३    | वतहा र जिवा खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत प्रति जेसीवि  |                     |   | रु.१०,००० देखी १५,००० सम्म |

द्रष्टव्य :-

क) घुर्मी वतहा र जिवा खोलावाट अवैध बालुवा,ढुगां,गिटी ,बालुवा लगायतको सामाग्री उत्खन्न गरे वापत माथि उल्लेखित रकम प्रथम पटकको हकमा मात्र हुन सोही व्यक्ती,संस्था वा सवारी पुन : दोहरीएमा सो रकममा २५ प्रतिशतको दरले थप हुँदै जानेछ ।

ख) नगरपालिकावाट अमिन खटाए वापत प्रति किता हजार र थप किता भएमा प्रति किता १०००/-को दरले थप हुनेछ

ग) आर्थिक सहायता दिनदूखीहरुको, अति विपिन्नको हकमा नगरप्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेश अनुसार निःशुल्क सेवा वा सिफारिस प्रदान गर्न सकिनेछ ।